10रु. कोर्ट फीस Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES CANCELLED

83

1 of 20

समक्ष न्यायालय श्रीमान् पीठासीन अधिकारी राजस्व मंडल

I/निगरानी/सागर/भू.रा/2018/2172

सागर केम्प सागर (म0प्र0)

गिरधर पटेल उम्र करीब 35 वर्ष पिता स्व. श्री सी.एल. पटेल

निवासी पालीवाल आटा चक्की के पास तिली वार्ड सागर

B.D.R. तह0 व जिला सागर म0प्र0 ....पुनरीक्षणकर्ता

26 MAR 2018

विरूद्व

1. नंदकिशोर पटेल उम्र 65 वर्ष पिता गोरेलाल पटेल
2. सुखलाल पटेल उम्र 58 वर्ष पिता स्व. श्री रामनाथ पटेल

   दोनों निवासी गल्ला मैदान तिली वार्ड सागर म0प्र0
3. कासीराम पटेल उम्र करीब 85 वर्ष पिता कासीराम पटेल
4. पार्वती पटेल उम्र करीब 72 वर्ष पति छोटेलाल पटेल
5. देवेन्द्र पटेल पिता छोटेलाल पटेल

सभी 3,4,5, निवासी :– पालीवाल आटा चक्की के पास तिली वार्ड सागर

तह0 व जिला सागर म0प्र0

......................प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण

श्री गिरधर पटेल, सहा द्वारा प्रस्तुत

रिविजन अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0सं0 1959

उपरोक्त नामांकित पुनरीक्षणकर्ता न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय सागर द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक–47अ/6अ वर्ष 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 30/01/2018 से दुखित होकर निम्न आधारों पर उक्त पुनरीक्षण श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

26/03/18

पुनरीक्षण के तथ्य

1. यह कि प्रतिपुनरीक्षणकर्ता क्र–1 एवं 2 ने तहसीलदार महोदय के समक्ष नक्शा सुधार किये जाने आवेदन प्रस्तुत किया था कि मौजा तिली माफी प0ह0न0 63 तह0 व जिला सागर स्थित खसरा नंबर–45/3 व 45/4 रकवा 3.20 एकड़ राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। आवेदन में यह भी लेख किया कि उक्त भूमि का

83

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/सागर/भू.रा./2018/2172 गिरधर विरूद्ध नंदकिशोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक गिरधर पटेल स्वयं उपस्थित । आवेदक के द्वारा तहसीलदार सागर के प्रकरण क्रमांक 47अ/6अ वर्ष 2016-17 में पारित आदेश दिनांक 30-01-2018 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 26-03-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि	

लेकर कलेक्टर सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 3.1.19
सदस्य